UGC APPROVED JOURNAL - 47746
INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 03 | January – March 2018

हिमाचल प्रदेश में हरिजन सेवक संघ के रचनात्मक कार्य

प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य, इतिहास
राजकीय महाविद्यालय, भरली,सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
शोध–छात्र, पीएचडी, इतिहास विभाग,हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला।

अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना सन् 1932 में, महात्मा गाँधी के उस इतिहास–प्रसिद्ध उपवास के तुरन्त बाद हुई थी, जो उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री रैम्ज़े मैक्डोनाल्ड द्वारा दिए गए साम्प्रदायिक निर्णय के उस अंश के विरोध में पूना की यरवडा जेल के अन्दर किया था, जिसमें तथाकथित अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मण्डलों के निर्माण के प्रावधान को स्वीकार किया गया था। दिनांक 20 सितम्बर, 1932 को प्रारम्भ किये गए अपने इस आमरण अनशन के माध्यम से वे दिनांक 24 सितम्बर, 1932 को सवर्ण हिन्दू व हरिजन नेताओं के बीच एक समझौता (यरवदा पैक्ट अथवा पूना समझौता) कराने में सफल रहे, जिसके अनुसार मैक्डोनल्ड के प्रस्ताव में संशोधन किया गया और केन्द्रीय व प्रान्तीय विधानसभाओं में हिन्दुओं के लिए संयुक्त निर्वाचक मण्डलों का अस्तित्व कायम रहा, जिनमें दलितों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। उल्लेखनीय है कि यही व्यवस्था मूलतः 1947 के बाद भी बनी रही।[1]

यरवदा पैक्ट अथवा पूना समझौते के अगले ही दिन यानी दिनांक 25 सितम्बर, 1932 को सारे भारत के हिन्दुओं के प्रतिनिधियों की एक परिषद का आयोजन बम्बई में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पण्डित मदन मोहन मालवीय ने की। इस परिषद में सवर्ण हिन्दू कहे जाने वाले सब लोगों की ओर से पास किये गए प्रस्तावों में से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि– "यह परिषद यह निश्चय करती है कि आज से हिन्दुओं में कोई व्यक्ति अपने जन्म के कारण अछूत नहीं माना जाएगा, और जो लोग अब तक अछूत माने जाते हैं, उन्हें सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक सड़कों और दूसरी सब सार्वजनिक संस्थाओं के उपयोग के बारे में वे सब अधिकार होंगे, जो कि दूसरे हिन्दुओं को होते हैं।"[2] इसके पश्चात्, सारे राष्ट्र के हिन्दू नेताओं ने दिनांक 30 सितम्बर, 1932 ई० को पण्डित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बम्बई में ही एक सार्वजनिक सभा की जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया–

"हिन्दुओं की यह सार्वजनिक सभा निश्चय करती है कि अस्पृश्यता के ख़िलाफ प्रचार करने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ (एन्टी अनटचेबिलिटी लीग), जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में और शाखाएं विभिन्न प्रान्तीय केन्द्रों में हों, स्थापित किया जाए, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नीचे लिखे कदम तुरन्त उठाए जाएं–

(क) सब सार्वजनिक कुएँ, धर्मशालाएँ, सड़कें, स्कूल, श्मशानघाट, क़ब्रस्तान इत्यादि हरिजनों के लिए खुले घोषित कर दिए जाएं;

(ख) सार्वजनिक मन्दिर हरिजनों के लिए खोल दिये जाएं;

---

[1] सुमित सरकार, *आधुनिक भारत (1885–1947),* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ–348–349

[2] *हरिजन सेवक संघ का संविधान (1955 में संशोधित),* उद्योगशाला प्रैस, किंग्सवे, दिल्ली, पृष्ठ–1

बशर्ते कि (क) और (ख) के सम्बन्ध में ज़ोर या ज़बरदस्ती का प्रयोग न किया जाए, बल्कि केवल शान्तिमय समझाने–बुझाने का ही सहारा लिया जाए।"[3]

अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ (एन्टी अनटचेबिलिटी लीग) का ही नाम बाद में बदल कर हरिजन सेवक संघ रखा गया। 26 अक्तूबर, 1932 को हरिजन सेवक संघ ने दिल्ली में अपना संविधान स्वीकार किया, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया– "हिन्दू समाज में से सत्यमय और अहिन्सक साधनों द्वारा छुआछूत को मिटाना और उससे पैदा हुई उन दूसरी बुराइयों तथा निर्योग्यताओं को जड़मूल से नष्ट करना है, जो तथाकथित अछूतों को, जिन्हें कि इसके बाद हरिजन कहा जाएगा, जीवन के सभी क्षेत्रों में भोगनी पड़ती हैं, और इस प्रकार उन्हें पूर्ण रूप से शेष हिन्दुओं के समान स्तर पर ला देना है।"[4]

इस घटना का परिणाम यह हुआ कि अब हरिजनों का उद्धार गाँधीजी का मुख्य सरोकार बन गया। गाँधीजी के रिहा होने के पूर्व ही साप्ताहिक हरिजन (जनवरी, 1933) का प्रकाशन आरम्भ हो गया।[5] नवम्बर, 1933 और अगस्त, 1934 के बीच उन्होंने अस्पृश्यता निवारण यात्रा अथवा हरिजन यात्रा की। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा का सारा कार्यक्रम ठक्कर बापा ने तैयार किया था। यह यात्रा वर्धा से प्रारम्भ होकर काशी में समाप्त हुई थी। कुल 12504 मील की इस ऐतिहासिक यात्रा नौ महीने का समय लगा था और इससे अस्पृश्यता निवारण के लिए कारगर प्रचार तथा धनसंग्रह का ऐसा बड़ा कार्य हुआ, जिसके कारण हरिजन कल्याण की प्रवृत्ति में इसे ऐतिहासिक माना जा सकता है।[6] भारत के विभिन्न प्रान्तों में हरिजन सेवक संघ की ईकाईयाँ स्थापित की गईं, जिनके माध्यम से हरिजन कल्याण के कार्य किये गए। दूरगामी परिणामों की दृष्टि से देखें तो गाँधीवादियों द्वारा किये जाने वाले हरिजन कल्याण कार्यों ने ग्रामीण समाज के निम्नतम और सबसे शोषित वर्गों तक राष्ट्रवाद का सन्देश पहुँचाने का कार्य किया।[7]

प्रस्तुत शोध–पत्र हिमाचल प्रदेश में हरिजन सेवक संघ द्वारा किये गए हरिजन कल्याण के कार्यों से सम्बन्ध रखता है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में किये गए अस्पृश्यता निवारण व हरिजन कल्याण के अन्य कार्य व्यापक पैमाने पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही किये गए, जिसमें हरिजन सेवक संघ ने महती भूमिका निभाई। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भी हिमाचल प्रदेश में, अशोक आश्रम, कालसी द्वारा जनजातीय विकास कार्यों के साथ–साथ कुछ हरिजन कल्याण के कार्य भी किये गए थे। तथापि संगठित रूप से हरिजन उद्धार के कार्यों का प्रारम्भ हरिजन सेवक संघ की ईकाई की स्थापना के साथ ही होता है।

55,673 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्रफल में फैला वर्तमान हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल, 1948 को शिमला हिल स्टेट्स और पंजाब हिल स्टेट्स की तीस देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के परिणामस्वरूप चीफ कमिश्नरी प्रान्त के तौर पर अस्तित्व में आया था। यह जम्मू–कश्मीर के दक्षिण, पंजाब के उत्तर–पूर्व, हरियाणा, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के उत्तर–पश्चिम और तिब्बत के पश्चिम में स्थित है। यह इलाका पहाड़ी है और अपने जंगलों, नदियों, घाटियों, पहाड़ियों और दरों के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। ये सभी भौतिक संसाधनों की दृष्टि

[3] *हरिजन सेवक संघ का संविधान (1955 में संशोधित),* उद्योगशाला प्रैस, किंग्सवे, दिल्ली, पृष्ठ–2
[4] *हरिजन सेवक संघ का संविधान (1955 में संशोधित),* उद्योगशाला प्रैस, किंग्सवे, दिल्ली, पृष्ठ–3
[5] सुमित सरकार, *आधुनिक भारत (1885–1947),* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ–348–349
[6] मुकुट बिहारी वर्मा, *हरिजन सेवक संघ का इतिहास : सन् 1932 से 68 तक,* हरिजन सेवक संघ, उद्योगशाला प्रैस, किंग्सवे, दिल्ली, 1969, पृष्ठ–84–85
[7] सुमित सरकार, *आधुनिक भारत (1885–1947),* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ–348–349

से भी उतने ही समृद्ध हैं जितने सांस्कृतिक और मानवीय जीवन मूल्यों की दृष्टि से। तिब्बत के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण इसका भारी रणनीतिक महत्व है।[8] भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान यह क्षेत्र गदर पार्टी और काँग्रेस की गतिविधियों का केन्द्र रहा। सन् 1920 ई0 से यहाँ कांग्रेस आन्दोलन ने जोर पकड़ा और गांधी जी के आह्वान पर नाहन, सिरमौर के चौधरी शेरजंग और पण्डित राजेन्द्र दत्त तथा काँगड़ा में काँगड़ा के पालमपुर में लाला बाशीराम, देहरा गोपीपुर में बाबा कांशीराम, पंचम चन्द कटोच, सर्व मिश्र, बाशीराम, कृपाल सिंह, सिद्धू राम, थोहली राम आदि लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बने। मई, 1921 ई0 में शिमला में कांग्रेस का पहला प्रतिनिधि संगठन बनाया गया।[9] मई, 1921 को गांधी जी, मौलाना मुहम्मद अली, शौकत अली, लाल लाजपतराय, मदन मोहन मालवीय आदि के साथ शिमला पधारे। गांधी जी के शिमला आगमन ने इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का ध्यान राष्ट्रीय विचारधारा की ओर आकृष्ट किया।[10] कांग्रेस के नेतृत्व में हिमाचल के लोगों ने 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' व भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई।[11] 1927 के बाद से प्रदेश की विविध देशी रियासतों में प्रजा मण्डल अस्तित्व में आए, जिन्होंने रियासतों में कुछ गाँधीवादी कार्य भी किये और लोगों में राजनीतिक जागृति को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। राजपूत सभा, ब्राह्मण सभा, सनातन धर्म सभा, आर्य समाज, विविध सेवा संघ, समितियाँ व सम्मेलन प्रदेश की रियासतों में आज़ादी के पहले से सक्रिय थे और राजनीतिक व सामाजिक जागरूकता के कार्य भी इनके द्वारा किये गए थे।[12]

औपनिवेशिक भारत के विभिन्न प्रान्तों व भागों में तो हरिजन सेवक संघ वर्ष 1932 से ही एक निश्चित योजनानुसार कार्य करता आ रहा था, किन्तु 15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश में विलीन होने वाले देशी राज्यों में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की कोई शाखा न बन पाई। उन दिनों अस्पृश्यता निवारण के आन्दोलन का इन क्षेत्रों में श्रेय आर्य समाज को ही जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1951 में राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा पूरे भारत की अनुसूचित जातियों की एक सूची जारी की गई थी, जिसे वर्ष 1956 में संसद द्वारा संशोधित किया गया था। इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों अथवा हरिजन जातियों की कुल संख्या 52 निर्धारित की गई थी। स्वतंत्रता–प्राप्ति तथा हिमाचल प्रदेश बनने से पूर्व इन रियासतों में इन अनुसूचित जातियों की अवस्था बड़ी दयनीय थी।

समाजशास्त्र के क्षेत्र में जाति पर होने वाले हालिया शोध यह दर्शाते हैं कि भारत में जाति की अर्थपूर्ण ईकाईयाँ संस्कृत ग्रन्थों में वर्णित अमूर्त वर्ण (सैद्धान्तिक अखिल भारतीय सोपान) न होकर विभिन्न स्थानीय जाति समूह हैं।[13] अतः जाति को सामाजिक स्तरीकरण की एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसकी विशेषताएं हैं विभिन्न कोटियों की व्यावसायिक पहचानें, श्रेणीबद्धता, अनुवांशिकता, असमानता, सजातीय

[8] हरिकृष्ण मिट्टू, *हिमाचल प्रदेश*, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 1994, पृष्ठ–1
[9] मियां गोवर्धन सिंह, *हिमाचल प्रदेश का इतिहास*, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, शिमला, 2020, पृष्ठ–326
[10] *पूर्वोक्त*, पृष्ठ–327
[11] *पूर्वोक्त*, पृष्ठ–327–328
[12] Ranbir Sharma, *Party Policies in Himalayan State*, Delhi, 1970, p.p. 21-38.
[13] सुमित सरकार, *आधुनिक भारत (1885–1947)*, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ–72

विवाह, भोजन सम्बन्धी निषेध और श्रेणीबद्धता से जुड़ा परिशुद्धता और अपवित्र होने का विचार।[14] तत्कालीन हिमाचल प्रदेश के समाज में भी उक्त समस्त विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। यथा कई देशी राज्यों में हरिजन सवर्णों के घरों के अहाते से नहीं गुजर सकते थे और न ही घरों को छू सकते थे। हरिजनों का मन्दिरों में प्रवेश व देवदर्शन वर्जित था। वे न तो सोने के आभूषण पहन सकते थे और न ही रेशमी कपड़ा पहन सकते थे। इसी प्रकार, विवाह के अवसर पर न तो रणसिंहा बज सकता था और न ही वर–वधू के लिए घोड़ा व पालकी का इस्तेमाल हो सकता था। देह स्पर्श पर सवर्ण स्नान करते थे। स्कूलों में हरिजनों के बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। हस्पतालों और दवाईयाँ मिलने की असुविधा भी इन्हें होती थी। होटलों और हलवाई की दुकानों पर इन्हें खाना नहीं मिलता था आदि।

स्वतन्त्रता के पश्चात् 1950 ई० में पण्डित धर्मदेव शास्त्री ने, जो एक गाँधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता थे व सेवाग्राम आश्रम में गाँधीजी के साथ रहे थे, श्री अमृतलाल ठक्कर की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश की पदयात्रा की व यहाँ के लोगों की हालत देखी। शास्त्री जी ने प्रदेश को अस्पृश्यता के जंजाल में फँसा पाया। अतः यहाँ का सर्वेक्षण करके केन्द्रीय हरिजन सेवक संघ के सामने, हिमाचल प्रदेश में अलग से हरिजन सेवक संघ बनाने का सुझाव रखा, जिसके फलस्वरूप नवम्बर, 1954 में, हिमाचल प्रदेश में संघ की ईकाई स्थापित हुई, तथा प्रदेश में संघ ने पण्डित धर्मदेव शास्त्री की अध्यक्षता में अपने युग–प्रवर्तक कार्यों का शुभारम्भ किया। इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश में संघ के कार्यों का संचालन पंजाब हरिजन सेवक संघ द्वारा किया जाता था। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में संघ की ईकाई स्थापित होने पर आरम्भ में उसका कार्यालय अशोक आश्रम, कालसी में रखा गया और संघ के अन्तर्गत एक ही कार्यकर्ता श्री रतनचन्द रोझे थे। किन्तु, दो वर्षों के भीतर ही संघ ने अपने कार्यक्षेत्र में आशातीत प्रगति की। अतः संघ का कार्यालय अशोक आश्रम, कालसी से हटा कर प्रदेश के तत्कालीन महासू ज़िले के सलोगड़ा में स्थापित किया गया।[15]

अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रान्तीय शाखाओं को विविध प्रचार एवं रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाने के निर्देश दिये गए थे। संघ की प्रान्तीय शाखाओं को स्वर्ण हिन्दूओं में प्रचार के माध्यम से द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णरूपेण नष्ट करने के पक्ष में जनमत तैयार करने के जो निर्देश दिये गए, उनमें निम्न बातें शामिल थीं :–

(अ) सभाएं करना, ऐसे विशेष उत्सव करना जिनमें सवर्ण हिन्दू और हरिजन, स्त्री–पुरूष और बच्चे एक साथ बैठें और घुलें, विशेष हरिजन–दिवसों का संगठन करना, जुलूस निकालना, वगैरह।

(अ) सब जगह ऐसा उपयुक्त साहित्य पहुँचाना, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया हो कि यदि हिन्दूधर्म को जीना है और हिन्दू समाज को विच्छिन्न होने बचना है, तो छुआछूत का नाश बहुत जरूरी है। इनके अन्तर्गत पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन आ जाता है।

---

[14] Vivekanand Jha, 'Jati, Samajik Nyay or Asprishyataa', in Prabhat Kumar Shukla Edited Itihaas Lekhan ki Vibhinn Drishtiyan, Granth Shilpi(India) Pvt. Ltd., Delhi, 2012, p.98.

[15] *हरिजन सेवक संघ, हिमाचल प्रदेश, वार्षिक कार्य विवरण,* 1959–60, पृष्ठ–2

(इ) हरिजनों की जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना। चुने हुए क्षेत्रों में पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करना और हरिजन बस्तियों की सफाई, प्रकाश और पानी तथा नालियों की व्यवस्था और शिक्षा आदि के बारे में उनके कष्टों और स्थिति के सच्चे विवरण को प्रकाशित करना ।

(ई) उप–धारा, (इ) निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने लिए हरिजनों के घर–घर में जाना ।

(उ) जो दस्तकारियाँ हरिजनों को विशेष रूप से लाभप्रद हैं, उन्हें बढ़ाने और प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रदर्शिनी और संग्रहालयों का आयोजन करना ।

(ऊ) हरिजन और सवर्ण हिन्दू दोनों के सामान्य उपयोग के लिए जो नई संस्थाएं खोली गई हों, सवर्ण हिन्दूओं को उनकी सहायता करने के लिए तैयार करना ।[16]

उपर्युक्त प्रचार कार्य के साथ–साथ सेवाभाव और हृदय–शुद्धि की दृष्टि से हरिजनों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक जीवन तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उन्नति के लिए संघ की प्रान्तीय शाखाओं को कुछ रचनात्मक कार्य करने के निर्देश हरिजन सेवक संघ के संविधान में दिये गए, जिनमें हरिजन छात्र–छात्राओं और प्रौढ़ों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना, सभी छात्रावासों को हरिजन छात्रों के लिए खुलवाने का प्रयत्न करना तथा योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ, पुस्तकें, कपड़े इत्यादि की सहायता देने का प्रबन्ध करना, औद्योगिक प्रशिक्षण यथा कताई, बुनाई, चमड़ा–पकाना, जूता बनाना और बेत–काम इत्यादि सिखाने के लिए प्रबन्ध करना, सभी सार्वजनिक कुओं, नलों और पीने के पानी के दूसरे सब साधनों को हरिजनों के उपयोग हेतु खुलवाना, मन्दिर प्रवेश व अस्पृश्यता निवारण आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा, हरिजनों को सामाजिक दृष्टि से ऊँचा उठाने के लिए जरूरी है कि उनमें प्रचलित गन्दी और बुरी आदतों को छुड़ाया जाये। इसलिए ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि सवर्ण हिन्दू कार्यकर्ता अपने–अपने स्थानों में हरिजनों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखें । इसके लिए, सर्वोत्तम उपाय यह है कि त्याग और सेवा की भावना से अनुपम चरित्रवान नवयुवक हरिजन–बस्तियों में जाकर बस जायें और अपनी कथनी और करनी से हरिजनों में साफ और शुद्ध रहने का प्रचार करें तथा गो–मांस व मुर्दार मांस खाने और शराब पीने की आदतों से उन्हें मुक्त करें। नगरपालिकाओं और स्थानीय संस्थाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया जाये कि हरिजनों के लिए स्वच्छ स्थानों में सस्ते मकान बनायें जहां सामान्य लोग आते–जाते हों।[17]

उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु हरिजन सेवक संघ, हिमाचल प्रदेश द्वारा वर्ष 1966 तक विभिन्न वर्षों में सभी ज़िलों में व्यापक कार्य किये गए। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में सघन क्षेत्र (Intencive Area) स्थापित किए गए, जिनमें अस्पृश्यता निवारण का संगठित कार्य करने के साथ–साथ हरिजनों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उन्नत करने की दिशा में व्यापक कार्य किए गए।

शिक्षा प्रसार की दिशा में कार्य

अस्पृश्यता निवारण के एक साधन के रूप में हरिजनों में शिक्षा का प्रसार हरिजन सेवक संघ के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था। अस्पृश्यता के प्रसार के कारण आम स्कूलों में हरिजन बालकों व बालिकाओं को एक तो

[16] *हरिजन सेवक संघ का संविधान (1955 में संशोधित),* उद्योगशाला प्रैस, किंग्सवे, दिल्ली, पृष्ठ–11–12
[17] *हरिजन सेवक संघ का संविधान (1955 में संशोधित),* उद्योगशाला प्रैस, किंग्सवे, दिल्ली, पृष्ठ–12–14

प्रायः दाखिल नहीं किया जाता था, और यदि दाखिल कर भी लिया गया, तो सबके साथ बराबरी से उनको बैठाया और पढ़ाया नहीं जाता था। अतः अस्पृश्यता के कारण हरिजनों का एक तबका, शिक्षा के क्षेत्र में लम्बे समय से उपेक्षा का शिकार रहा था। गाँधीजी का विचार था कि– "जब तक हम हरिजनों को सार्वजनिक स्कूलों में प्रवेश नहीं दिला सकते, तब तक हमारे सामने यह सवाल है कि या तो हम हरिजनों के लिए स्कूल खोलें या बच्चों को पढ़ाई से वंचित रहने दें। इसलिए हम सकूल खोल रहें हैं। इनमें दूसरे बच्चे भी आ सकते हैं। लेकिन हरिजनों को तो इनमें आने का पूर्ण अधिकार है।" उन्होंने हरिजनों के लिए ऐसे पृथक स्कूलों को प्रारम्भिक स्कूलों की संज्ञा दी जो असंस्कृत हरिजन बच्चों को सुसंस्कृत बनाने के कार्य में अहम भूमिका निभा सकते थे।[18] हिमाचल प्रदेश में भी संघ ने इस ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया और प्रदेश के तत्कालीन महासू ज़िले के नन्दग्राम व ग्राम चलाण में हरिजन बस्ती में वर्ष 1959 में गाँधी प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की गईं। ग्राम चलाण में हरिजन बस्ती में संचालित इस गाँधी प्राथमिक पाठशाला ने अपनी स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सम्मिश्र विद्यालय का रूप ले लिया। इसी प्रकार, हरिजनों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए तथा उनमें एकता और सम्मान की भावना स्थापित करने के लिए सोलन, नाहन, सुन्दर नगर, नन्दग्राम और सिरमौर जिले के निहालगढ़ में रात्रि संस्कार केन्द्र चलाए गए, जिनमें रात्रि के 8 से 10 बजे तक शिक्षा कार्य किया जाता था। इन केन्द्रों का नामकरण हरिजन नेता अमृत लाल ठक्कर के नाम पर ठक्कर बापा संस्कार केन्द्र के रूप में किया गया। इन संस्कार केन्द्रों में अध्यापकों की नियुक्तियाँ की गईं। इन संस्कार केन्द्रों ने लोगों में स्वच्छता की भावना, समय का सदुपयोग करने तथा उनमें सदव्यवहार जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। प्रौढ़ों और बच्चों, स्त्रियों तथा पुरूषों सभी ने इनसे लाभ उठाया। उल्लेखनीय है कि सिरमौर ज़िले के नाहन की वाल्मीकि बस्तियों में इन केन्द्रों से बहुत लाभ हुआ। पाँच से आठ वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से हरिजन सेवक संघ ने बालवाड़ियाँ स्थापित कीं, जिनमें बच्चों को कक्षा एक से दो तक पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा प्रदान की जाती थी। हिमाचल प्रदेश में हरिजन सेवक संघ द्वारा ऐसी पहली बालवाड़ी सिरमौर ज़िले के बद्रीपुर में वर्ष 1959 में स्थापित की गई।

हरिजनों और सवर्णों में ऊँच–नीच की भावना और छुआछूत को दूर करने के लिए तथा उनमें समानता का भाव लाने के लिए सरकारी अनुदान पर हरिजन सेवक संघ, हिमाचल प्रदेश की ओर से गाँधी छात्रावासों की स्थापना की गई, जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण में महती भूमिका निभाई। प्रारम्भ में ऐसे छात्रावास, जिला सिरमौर में पांवटा, जिला महासू में सराहन, जिला चम्बा में चम्बा खास में स्थापित किये गए। इन छात्रावासों में हरिजन व सवर्ण छात्र साथ –साथ रहते थे, साथ–साथ बैठकर खाना खाते थे तथा नम्बर वार खाना खिलाते भी थे। किसी तरह की अस्पृश्यता को छात्र न मानें, ऐसा प्रचार बच्चों में किया जाता है। गांधी छात्रावासों में बच्चों के लिए बिस्तर, खाना बनाने के लिए बर्तन, सोने के लिए तख्त–पोश, प्रार्थना आदि करने के लिए दरियाँ, खाना खाने के लिए टाट, व रात्रि के लिए प्रकाश हेतु गैस तेल लालटेन आदि का प्रबन्ध होता था। इनके अलावा, देश–विदेश के समाचारों की जानकारी के लिए समाचार पत्र व रेडियो तथा मनोरंजन के लिए खेल के सामान, नेट, वालीवाल आदि का भी प्रबन्ध होता था। प्रत्येक छात्रावास में खाना बनाने के लिए रसोईये होते थे। हर छात्रावास में व्यवस्थापक भी रखे गए थे, जिससे बच्चों की समयानुसार सब कार्य करने की प्रेरणा मिलती थी। संघ की ओर से गरीब व हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी।

[18] महात्मा गाँधी, "हरिजन", 04–03–1933, *सम्पूर्ण गाँधी वांगमय,* खण्ड–53, पृष्ठ–

आर्थिक उन्नयन हेतु कार्य

सिरमौर जिले में हरिजनों की व्यावसायिक स्थिति सुधारने की दिशा में भी हरिजन सेवक संघ ने महत्वपूर्ण कार्य किये। हरिजन लोग अपने पारम्परिक व्यवसाय से अधिक लाभ कमाने की स्थिति में नहीं थे, जिसका मूल कारण यह था कि गाँवों में लोग अपने पुराने तरीकों पर ही निर्भर रहे। नये तरीकों पर उन्होंने कार्य करने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि इनके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। ट्रेनिंग लेने के साथ–साथ इन लोगों के सामने कई अन्य कठिनाईयाँ भी थीं, जिस कारण वे लाभ नहीं उठा पा रहे थे। अतः आय कम होने के कारण उद्योग कार्य करने वाले ग्रामीण जन अपने पारम्परिक धन्धों को छोड़ने लगे। संघ ने इनकी कठिनाईयों का अनुभव करके जिला महासू में नन्द्रग्राम तथा सिरमौर में निहालगढ़ ग्राम में गांधी उद्योग आश्रम नाम से उद्योगशालाएं स्थापित कीं। सिरमौर जिले के निहालगढ़ के आस पास सब ग्रामों में जुलाहे रहते थे और वे कताई तथा बुनाई का कार्य करके अपनी जीविका कमाते रहे थे। इस क्षेत्र में रूई भी पैदा की जाती है तथा रूई आसानी से मिल भी सकती है। लोग पुराने तरीकों की खड्डियों पर ही बुनाई का कार्य करते रहे थे। अतः नई पद्धति की ओर इनको ले जाने की कोशिश करने के लिए निहालगढ़ में अम्बर चर्खों की कताई का तथा नये तरीकों की खड्डियों पर बुनाई का कार्य सिखाने के लिए 1959 से मकान किराए पर लेकर उद्योगशाला प्रारम्भ की गई। आश्रम में दरियाँ, निवार, खेस, खद्दर तथा तौलिये बनाए जाते थे। आश्रम में रात्रि संस्कार केन्द्र भी चलाया गया, जिससे ग्राम के बच्चों को, प्रौढ़ों को काफी लाभ हुआ। इसके अलावा, जो छात्र आश्रम में सिलाई बुनाई का कार्य सीखते थे, उन्हें उद्योग विभाग द्वारा सिलाई मशीनें तथा खड्डियाँ भी समय–समय पर प्रदान की जाती थीं। गई। जिला महासू के गांधी उद्योग आश्रम में तो संलग्न भूमि पर कृषि कार्य किये जाने की व्यवस्था भी संघ की ओर से की गई, जिसके लिए एक कार्यकर्ता भी यहाँ रखा गया, जिसने इस क्षेत्र में अस्पृश्यता निवारण का कार्य भी किया। इस क्षेत्र में लोग ऊन का कार्य करते थे। इसलिए यहाँ के गांधी उद्योग आश्रम में सूती कार्य के बजाय ऊन का कार्य प्रारम्भ किया गया।

स्त्रियों को अस्पृश्यता निवारण कार्य में शामिल करने हेतु भी व्यापक प्रयास संघ द्वारा महिला टेलरिंग सेंटर के माध्यम से किये गए, जिनमें स्त्रियों को टेलरिंग सिखाने के साथ–साथ उनको अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी विचार भी दिए जाते थे। संघ की ओर से ऐसे टेलरिंग सेन्टर जिला महासू के सोलन व जिला सिरमौर के ब्रदीपुर में शुरू किए गए। इनमें टेलरिंग शिक्षिकाएं रखी गईं तथा टेलरिंग का यथा सम्भव सामान भी दिया गया। इनमें काम करने वाली महिलाओं को वेतन भी दिया जाता है।

अस्पृश्यता निवारण कार्य

हरिजन सेवक संघ, हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पृश्यता निवारण शिविरों व सम्मेलनों का आयोजन भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर किया जाता था। इसके अलावा, विविध ज़िलों में आयोजित होने वाले सभी प्रमुख समारोहों तथा मेलों में अस्पृश्यता निवारण हेतु प्रचार कार्य किया जाता था व मेलों में अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी साहित्य का वितरण भी किया जाता था। अस्पृश्यता निवारणार्थ विभिन्न गाँवों की पदयात्रा भी कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती थी। मेलों में हरिजन सेवक संघ की भजन मण्डलियों के माध्यम से व्यापक प्रचार कार्य किया जाता था। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि संघ द्वारा रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु पाँवटा

तहसील के बद्रीपुर में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के पूर्व अध्यक्ष व गाँधीवादी नेता श्री अमृत लाल ठक्कर की स्मृति में अमृत मेला प्रारम्भ किया[19], जिसमें गाँधीवादी तत्वों का सुन्दर समावेश होता था। मेले के आयोजन का उद्देश्य चूँकि लोगों में गाँधीवादी चेतना जागृत कर के रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना था, अतः मेले की गतिविधियों का एक बड़ा भाग रचनात्मक कार्यों को समर्पित रहता था। मेले के उद्घाटन के अवसर पर विभिन्न गाँधीवादी चिन्तकों व कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेरक, ज्ञानवर्धक व सरस उद्बोधन दिये जाते थे, ताकि लोग गाँधी जी के जीवन व दर्शन से परिचित हो सकें तथा उनके विचारों को अपने जीवन में अपना कर सर्वोदय समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। उल्लेखनीय है कि काका कालेलकर, वियोगी हरि, एल० एम० श्रीकान्त जैसी महान विभूतियों का आगमन विभिन्न वर्षों में अमृत मेले में होता रहा। सिरमौर जिले में अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी कार्य में इस मेले ने महती भूमिका निभाई है।

हरिजन सेवक संघ, हिमाचल प्रदेश द्वारा विविध वर्षों में विभिन्न स्थानों पर स्थित ऐसे अनेक मन्दिरों में हरिजनों को पूजा करने का अधिकार दिलाया, जिनमें अब तक हरिजनों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। मन्दिरों के साथ–साथ कुएं व बावड़ियाँ खुलवाने में भी संघ ने महती भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि इस कार्य में हरिजन सेवक संघ, हिमाचल प्रदेश के प्रथम कार्यकर्ता श्री रतन चन्द रोझे व पण्डित धर्मदेव शास्त्री की महती भूमिका रही। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर मन्दिर, कुएं व बावड़ियाँ हरिजनों के लिए खोलने के लिए सत्याग्रह किये।

वर्ष 1954 में हिमाचल प्रदेश में अपनी स्थापना के बाद ही हरिजन सेवक संघ ने विभिन्न स्थानों पर गाँधी मन्दिर स्थापित करने की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्यता निवारण तथा गाँधीवादी विचारों का प्रचार–प्रसार करना था। ऐसा पहला मन्दिर सिरमौर ज़िले के अम्बोया गाँव में स्थापित किया गया। मन्दिर के निर्माण में श्री जगदर्शन सेवल ने, जो हरिजन सेवक संघ, हिमाचल प्रदेश के संस्थापक सदस्य थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस गाँधी प्रार्थना मन्दिर की विशिष्टता यह है कि प्रतिवर्ष 30 जनवरी (शहीद दिवस) को गाँधी जी की स्मृति में यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत मन्दिर में पूजा तथा भजनों व प्रार्थनाओं के गायन से होती है। वर्ष 1956 में, ऐसे ही एक अन्य मन्दिर की स्थापना सिरमौर जिले की पाँवटा तहसील के ही बद्रीपुर में हरिजन सेवक संघ द्वारा की गई। इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यहाँ भी अम्बोया की तर्ज़ पर प्रतिवर्ष एक मेला आयोजित करने की प्रथा शुरू की गई। यह मेला गाँधीवादी नेता व अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री अमृत लाल ठक्कर की स्मृति में प्रारम्भ किया गया,[20] जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अम्बोया के गाँधी प्रार्थना मन्दिर को छोड़ कर, हरिजन सेवक संघ द्वारा स्थापित किये गए अन्य सभी गाँधी मन्दिर अब नष्ट हो चुके हैं। इन मन्दिरों के नष्ट होने के, दो कारण प्रतीत होते हैं। प्रथम, हरिजन सेवक संघ की गतिविधियों में निरन्तर कमी होने जाना और अन्ततः समाप्त हो जाना, जिसके चलते जहाँ एक ओर इन मन्दिरों के विकास व रख–रखाव हेतु संरक्षकों का अभाव होता गया, वहीं दूसरी ओर, लोगों में गाँधीवादी व सामाजिक चेतना की भी कमी होती गई। और द्वितीय, हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की मृत्यु के बाद उनकी निष्काम समाज सेवा की परम्परा को आगे बढ़ाने हेतु कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी का विकास नहीं हो सका।

[19] *हरिजन सेवक संघ, हिमाचल प्रदेश, वार्षिक कार्य विवरण,* 1959–60, पृष्ठ–2
[20] *हरिजन सेवक संघ, हिमाचल प्रदेश, वार्षिक कार्य विवरण,* 1957–58, पृष्ठ–13

वाल्मीकि बस्तियों का सर्वेक्षण करके समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की सहायता से भूमिहीन हरिजनों को भूमि दिलाई तथा बेदखलियां रूकवाईं गईं। हरिजन बस्तियों में पानी की कमी कठिनाई को हल कराया तथा आदर्श बस्तियाँ बनवाने का कार्य किया गया। संघ की प्रेरणा से हरिजन बच्चों को पाठशालाओं में दाखिल कराया गया। नशा निवारण हेतु शराब छोड़ने व तम्बाकू का सेवन न करने तथा अस्पृश्यता न मानने की सवर्णों तथा हरिजनों से प्रतिज्ञाएं भी कार्यकर्ताओं द्वारा करवाई जाती रहीं। कुशल हरिजनों को सिलाई मशीनें, चर्खे और खड्डियाँ दिलाने में भी संघ ने सहयोग किया। समय–समय पर केन्द्रीय हरिजन सेवक संघ की सिनेमा वैन का आगमन भी प्रदेश में होता रहा, जिसके द्वारा लोगों को सामाजिक समरसता व अस्पृश्यता निवारण पर विविध फिल्में दिखा कर उनके हृदय परिवर्तन का कार्य किया जाता था।

उपसंहार

उपरोक्त समस्त कार्यो ने लोगों में अस्पृश्यता निवारण की मानसिकता के संवर्धन की दिशा में महती भूमिका निभाई। किन्तु, शनैः शनैः, विशेषकर, 1985 के पश्चात् प्रदेश में संघ की गतिविधियों में निरन्तर कमी आती गई तथा वर्ष 2002 में संघ की ईकाई प्रदेश में समाप्त कर दी गई। इसके तीन कारण प्रतीत होते हैं। प्रथम, वित्तीय कठिनाईयाँ, जिनके कारण संघ अपनी गतिविधियों को संगठित करने में असमर्थ होता गया। द्वितीय, कालान्तर में, संघ के कार्यकर्ताओं की मृत्यु के बाद उनकी निष्काम समाज सेवा की परम्परा को आगे बढ़ाने हेतु कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी का विकास नहीं हो सका। इसके अलावा, कालक्रमेण, संघ द्वारा किए जाने वाले बहुतेरे कार्य विविध सरकारी विभागों द्वारा अपने हाथ में भी ले लिए गए, तथापि, इस बात में कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिए कि स्वतन्त्रता के पश्चात् इस नवगठित प्रदेश में हरिजनों के उत्थान हेतु हरिजन सेवक संघ ने अविस्मरणीय योगदान दिया है।

सन्दर्भ सूचि

- [1] सुमित सरकार, *आधुनिक भारत (1885–1947),* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ–348–349
- [1] *हरिजन सेवक संघ का संविधान (1955 में संशोधित),* उद्योगशाला प्रैस, किंग्सवे, दिल्ली, पृष्ठ–1
- [1] *हरिजन सेवक संघ का संविधान (1955 में संशोधित),* उद्योगशाला प्रैस, किंग्सवे, दिल्ली, पृष्ठ–2
- [1] *हरिजन सेवक संघ का संविधान (1955 में संशोधित),* उद्योगशाला प्रैस, किंग्सवे, दिल्ली, पृष्ठ–3
- [1] सुमित सरकार, *आधुनिक भारत (1885–1947),* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ–348–349
- [1] मुकुट बिहारी वर्मा, *हरिजन सेवक संघ का इतिहास : सन् 1932 से 68 तक,* हरिजन सेवक संघ, उद्योगशाला प्रैस, किंग्सवे, दिल्ली, 1969, पृष्ठ–84–85
- [1] सुमित सरकार, *आधुनिक भारत (1885–1947),* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ–348–349
- [1] हरिकृष्ण मिट्टू, *हिमाचल प्रदेश,* राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 1994, पृष्ठ–1
- [1] मियां गोवर्धन सिंह, *हिमाचल प्रदेश का इतिहास,* हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, शिमला, 2020, पृष्ठ–326
- [1] Ranbir Sharma, *Party Policies in Himalayan State*, Delhi, 1970, p.p. 21-38.
- [1] सुमित सरकार, *आधुनिक भारत (1885–1947),* राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ–72
- [1] Vivekanand Jha, 'Jati, Samajik Nyay or Asprishyataa', in Prabhat Kumar Shukla Edited Itihaas Lekhan ki Vibhinn Drishtiyan, Granth Shilpi(India) Pvt. Ltd., Delhi, 2012, p.98.